संख्या-10/2024-वे0आ0-2-534/दस-2024-ई0प0(क0सं0-1784343)

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 21 सितम्बर, 2024**

विषय : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के विभिन्न पदों/संवर्गों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव समिति की संस्तुति पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन (भाग-1) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये हैं :-

(1) औषधि निरीक्षक के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रू० 44900-142400) के स्थान पर विभागीय शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से उच्चीकृत वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (रू0 47600-151100) अनुमन्य किया जाय।

(2) वरिष्ठ विश्लेषक (खाद्य/औषधि) के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स लेवल-6 (रू0 35400-112400) के स्थान पर विभागीय शासनादेश निर्गत होने के दिनांक से उच्चीकृत वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (रू0 44900-142400) अनुमन्य किया जाय।

2- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु यथावश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in